

अनुसूची-2

(नियम- 230 (क) देखें)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में अधिसूचित उपजीविका जन्य रोग।

- 1, उपजीविकाजन्य त्वचा शोथ
- 2, उपजीविकाजन्य कैंसर
- 3, एस्वेस्टोसिस
- 4, सिलीकोसिस
- 5, सीसा विषाक्तता जिसमें सीसे की किसी निर्मिती या सम्मिश्रण या उनके अनुगम की विषाक्तत सम्मिलित है।
- 6, बैनजीन विषाक्तता जिसमें इसकी सजातीय (होमोलोगस) उनके नाइट्रो अथवा अमाइडो व्युत्पन्न या इसके अनुगम की विषाक्तत सम्मिलित है।
- 7, उपजीविकाजन्य दमा
- 8, कीटनाशी विषाक्तता
- 9, कार्बन मोनो आक्साइड विषाक्तता
- 10, विषैली पीलिया
- 11, विषैली रक्तक्षीणता
- 12, संपीडित वायु रूग्णता (केसन रोग)
- 13, शोर प्रेरित श्रवण क्षति
- 14, आइसोसाइमेट विषाक्तता
- 15, विषैली नैफराइटिस